विशेष विवरण

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

पांचु बनाम छीता वगै०

मुकदमा नम्बर : 12/348/2007 वाद

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 5/7/24 | प्र.का. उपस्थित। वादी स्वयं जरिये अधिवक्ता के उपस्थित। तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 ता. 16 स्वयं जरिये अधिवक्ता के उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता एवं पक्षकारान के मुंह के प्रकटा राजीनामा दिनांक 15/7/2024 के अनुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता. 16 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने की सहमति जाहिर की गई है। अतः वादी का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता. 16 का काउन्टर क्लेम को राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी का मुताबिक डिक्री जाकर वादी का [illegible] किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा किया गया। जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल हो बाद तकमील होकर [illegible] तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर) | वादी पांचुराम D.P. [signature] प्रतिवादी राम चन्द्र [illegible] I.O. [signature] |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–12/368/07
उनवान– पांचू बनाम धीसा
निर्णय दिनांक– 05.07.2024

# न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–12/368/07

उनवान

पांचू पुत्र गोधा, जाति जाट, निवासी बिजली की ढाणी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी –

**बनाम**

1. धीसा पुत्र स्व0 श्री नोन्दा,
2. श्रीमती कमली देवी पत्नि धीसा,
3. सूरजमल पुत्र नाथूलाल,
4. मालीराम पुत्र नाथूलाल,
5. गोपाल पुत्र नाथूलाल,
6. सुन्दरदेवी पुत्री नाथूलाल,
7. श्रीमती मन्नी देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि रामेश्वर
8. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि रामसुख
9. श्रीमती नन्छी देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि भंवर
10. श्रीमती नन्दू देवी बेवा नाथूलाल पत्नि जगदीश
11. धन्ना पुत्र गोधा
12. भूरा पुत्र नाथू
13. रामचन्द्र पुत्र श्री हनुमानसहाय
14. चोथमल पुत्र श्री हनुमानसहाय
15. मोहनलाल पुत्र श्री हनुमानसहाय
16. गोपाललाल पुत्र श्री हनुमानसहाय
    समस्त जाति जाट निवासी बिजली की ढाणी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उपपंजियक चौमूं, जिला जयपुर।
19. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

दिनांक :–05.07.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजीयात हाल खाता संख्या 469 जिसके हाल खसरा नम्बर 798 रकबा 0.02 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 800 रकबा 1.16 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.47 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.30 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 805 रकबा 0.52 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.43 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 807 रकबा 0.50 हैक्टैयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.07 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.48 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.01 हैक्टैयर (गै0मु0चाह), खसरा नम्बर 884 रकबा 0.54 हैक्टैयर कुल किता 13 का [illegible] रकबा 5.52 हैक्टेयर जिसके गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 721, 724, 726, 777 कुल किता 4 का कुल रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजीयात में से केवल मात्र गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 जिसके की हाल खसरा नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर है, ही उक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त हैं। उक्त आराजीयात कुल किता 13 का कुल रकबा 5.52 हैक्टेयर सम्पूर्ण में ही सम्वत् 2037 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 जो कि वादी का भाई हैं का 1/3 हिस्सा नाथू पुत्र झूथा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 कि पिता व 10 के पति हैं का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के ससुर नोन्दा का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित था तथा उक्त हिस्से अनुसार प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त थें। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें से वादी के चाचा स्व0 श्री नोन्दा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 का पिता व प्रतिवादीगण संख्या 2 का ससुर है द्वारा गत आराजी खसरा नम्बर 721, 724, 726, 777 जिनके हाल खसरा नम्बर 798 ता 803, 805 ता 807, 881 ता 884 कुल किता 13 का कुल रकबा 5.52 हैक्टेयर है में निहित अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से को अर्थात् 1/6 हिस्से को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 17.10.1970 को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर तथा मौके पर कब्जा संभला कर वादी को विक्रय कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त स्व0 श्री नोन्दा द्वारा गत खसरा नम्बर 98, 464 कुल किता 2 का कुल रकबा 12 बीघा 1 बीस्वा में निहित अपने 1/2 हिस्से को भी सम्पूर्ण प्रतिंफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा संभलाकर के उपरोक्त रजि0 विक्रय पत्र के दिनांक 17.10.1970 को वादी को विक्रय कर दिया गया था। तत्पश्चात वादी एवं वादी के भाई प्रतिवादीगण संख्या 11 धन्ना द्वारा गत आराजी खसरा नम्बर 777 जिसके हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 है में निहित वादी के 1/3 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 11 के 1/6 हिस्से अर्थात कुल 1/2 हिस्से को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के दिनांक 24.07.1998 को प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 को विक्रय कर दिया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 के पिता व 10 के पति स्व0 श्री नाथू व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के ससुर स्व0 श्री नोन्दा द्वारा गत आराजी खसरा नम्बर 777 में क्रमशः राजस्व रिकॉर्ड में निहित अपने 1/3 हिस्से व 1/6 हिस्से अर्थात कुल 1/2 हिस्से को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 12 भूरा पुत्र नाथू व प्रतिवादीगण संख्या 1 को दिनांक 28.05.1985 को विक्रय कर दिया गया। वादी द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र के दिनांक 17.10.1970 को गत आराजी खसरा नम्बर 777 में निहित अपने 1/3 हिस्से को विक्रय करने के पश्चात् शेष बचे खसरा नम्बरान 721, 724, 726 जिसके हाल ख[illegible] 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 है अर्थात् विव[illegible] 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था तथा 1/3 हिस्सा [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 के पिता तथा 10 के पति व 1/6 हिस्सा स्व0 श्री नोन्दा अ[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक)
[illegible] चौमूं (जयपुर)
चौमूं /जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

2 के ससुर व 1/6 हिस्सा वादी के भाई प्रतिवादीगण संख्या 11 धन्ना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी का उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण में ही 1/6 हिस्सा निहित किया गया हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के ससुर नोन्दा 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जो कि रिकॉर्ड एवं विधि विरुद्ध है तथा संशोधित करवाने का वादी को पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से हुई उपरोक्त त्रुटी के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा उपरोक्त त्रुटी का फायदा उठाते हुए स्व0 श्री नोन्दा की मृत्यु के पश्चात अपने नाम नामान्तकरण भी विवादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से बाबत् दर्ज करवा लिया गया जो कि निरस्तनीय व दुरुस्त किये जाने योग्य है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 का अपने पिता स्व0 श्री नोन्दा की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्सा न होकर के 1/6 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा सहवन से विवादग्रस्त आराजीयात में दर्ज 1/3 हिस्से का नाजायज तौर पर फायदा उठाकर के आये दिन कुछ अजनबी व्यक्तियों को विवादग्रस्त आराजीयात विक्रय बाबत् को दिखाई जा रही है इसी क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आपस में संगठित होकर के सर्वप्रथम दिनांक 19.08.2007 व तत्पश्चात् दिनांक 22.10.2007 को कुछ अजनबी दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने बाबत् विवादग्रस्त आराजीयात पर लेकर आये जिसका विरोध वादी द्वारा करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी को धमकाने लगे की प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का विवादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा निहित हैं तथा उसके द्वारा अपने पिता स्व0 श्री नोन्दा की मृत्यु पश्चात 1/3 हिस्से का नामान्तकरण भी खुलवा लिया गया हैं जिस कारण वह शिघ्र ही उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भूभाग को दिगर अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर देगा और यदि वादी ने इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न की तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब इस पर वादी द्वारा अन्य सहखातेदारों की मदद से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को समझाने बाबत् कि उनका विवादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा निहित न होकर 1/6 हिस्सा निहित हैं और यदि सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में उनका हिस्सा 1/3 दर्ज हो गया हैं तो वह उसे दुरुस्त करवा ले इस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 और अधिक उग्र हो गये तथा वादी से लडाई झगडा करने लगे तथा वादी को यह ऐलानियां धमकी देने लगे की वे विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू भाग को विक्रय या हस्तानान्तरित कर देगा जिस पर वादी द्वारा दिनांक 25.11.2007 को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं गत सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर वादी को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ जिस कारण वादी द्वारा वादपत्र न्यायालय के समक्ष शिघ्र अतिशिघ्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 जिसके की हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर स्थित विवादग्रस्त भूमि का वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 व 17 ता 18 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादग्रस्त आराजीयात को विक्रय या हस्तानान्तरित ना करें ना ही विवादग्रस्त आराजीयात पर से वादी को जबरिया विधिविरुद्ध रुप से बेदखल करे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करे तथा वादी प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 17 विवादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन या परिवर्धन करे ना ही प्रतिवादीगण संख्या 18 अपने समक्ष विक्रय पत्र प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक ही करे। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, नोमीनी आदि के जरिये करे या करावे अर्थात् प्रतिवादीगण मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 की ओर से जवाद दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया गया कि गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 के हाल खसरा नम्बर 798 ता 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर के साथ साथ गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 भी उक्त प्रकरण में विवादित है। वादपत्र में वर्णित कुल किता 13 का कुल रकबा 5.52 हैक्टेयर सम्पूर्ण सम्वत् 2037 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 का 1/3 हिस्सा नाथू पुत्र झूंथा का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के ससुर नोन्दा का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार था तथा गत खसरा नम्बर 721, 724, 726, 777 में निहित 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से को अर्थात् 1/6 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 17.10.1970 को नोन्दा द्वारा विक्रय कर दिया गया व इसके अतिरिक्त नोन्दा द्वारा गत खसरा नम्बर 98, 464 कुल किता 2 का कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 17.10.1970 को विक्रय किया गया तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 द्वारा गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 जो कि उक्त जवाब दावे मय काउन्टर क्लेम में विवादित है में निहित वादी के 1/3 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 11 के 1/6 हिस्से अर्थात् कुल 1/2 हिस्से को दिनांक 24.07.1998 को मिन जवाबदातागण को विक्रय किया गया व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 के पिता व 10 के [illegible] नाथू व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व 2 के ससुर नोन्दा द्वारा [illegible] 777 में निहित अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 12 भूरा पुत्र नाथू को विक्रय कर दिया गया किन्तु मिन प्रतिवादीगण के हक में हिदनांक 24.07.1998 को तस्दीक किये गये विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
[illegible] (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड में इन्द्राजात नहीं हुआ जिसको दुरुस्त करवाकर मिन प्रतिवादीगण अपने क्रयशुदा 1/2 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है अर्थात् मिन प्रतिवादीगण को गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन प्रतिवादगीण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मिन प्रतिवादीगण को गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1998 को क्रय किये गये 1/2 हिस्से के सन्दर्भ में राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर मालिक स्वामी घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादी की ओर से जवाब दावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 गत खसरा नम्बर 777 के 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने का अधिकार नहीं है इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को वाद पत्र अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा 16 को भी प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा गलत रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि को बेचान हस्तानान्तरण की जानकारी रही है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। मुताबिक राजीनामा वादी को वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 हाल खसरा नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर के हिस्से 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर तथा तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1998 को क्रय किये गये हिस्से 1/2 भाग के सन्दर्भ में राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को मालिक स्वामी घोषित किया जावे व तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावें। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा 16 के मध्य उक्त राजीनामें में वर्णितानुसार राजीनामा हो गया है तथा यदि राजीनामें में वर्णितानुसार वाद को डिक्री कर वादी का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा 16 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किया जाता तो इसमे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को कोई आपत्ति व उज्र नहीं है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में उन्होंने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा 16 का के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजीनामा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 का काउन्टर क्लेम को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादंगस्त आराजीयात गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 हाल खसरा नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर के हिस्से 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे एवं विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1998 को क्रय किये गये हिस्से 1/2 भाग के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावें यह राजीनामा दिनांक 15.07.2016 डिक्री का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रे0) चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नं0–12/368/07
उनवान– पांचू बनाम घीसा
निर्णय दिनांक– 05.07.2024

# डिक्री मुकददमा इब्तदाई

## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

**मुकदमा नं0:–12/368/07**

**उनवान**

पांचू पुत्र गोधा, जाति जाट, निवासी बिजली की ढाणी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी –

**बनाम**

1. घीसा पुत्र स्व0 श्री नोन्दा,
2. श्रीमती कमली देवी पत्नि घीसा,
3. सूरजमल पुत्र नाथूलाल,
4. मालीराम पुत्र नाथूलाल,
5. गोपाल पुत्र नाथूलाल,
6. सुन्दरदेवी पुत्री नाथूलाल,
7. श्रीमती मन्नी देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि रामेश्वर
8. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि रामसुख
9. श्रीमती नन्छी देवी पुत्री नाथूलाल पत्नि भंवर
10. श्रीमती नन्दू देवी बेवा नाथूलाल पत्नि जगदीश
11. धन्ना पुत्र गोधा
12. भूरा पुत्र नाथू
13. रामचन्द्र पुत्र श्री हनुमानसहाय
14. चोथमल पुत्र श्री हनुमानसहाय
15. मोहनलाल पुत्र श्री हनुमानसहाय
16. गोपाललाल पुत्र श्री हनुमानसहाय
    समस्त जाति जाट निवासी बिजली की ढाणी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उपपंजियक चौमूं, जिला जयपुर।
19. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ये मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल [illegible] वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर, [illegible] मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी [illegible]

गत खसरा नम्बर 721, 724, 726 हाल खसरा [illegible]र 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर के हिस्से 1/3 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किया जावे एवं विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 777 हाल खसरा नम्बर 881, 882, 883, 884 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1998 को क्रय किये गये हिस्से 1/2 भाग के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावें यह राजीनामा दिनांक 15.07.2016 डिक्री का भाग रहेगा।

निजी .........मबलिक .............. बाबत ...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ...... ........................... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ....... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ........
ओहदा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा | 2 |
| 2. स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 2. स्टाम्प वकालतनामा | |
| 3. स्टाम्प वजह सबूत | | 3. महंन्ताना वकील | |
| 4. महन्ताना वकील | | 4. खर्चा गवाहन | |
| 5. खर्चा गवाहन | | 5. फीस कमिश्नर | |
| 6. फीस कमिश्नर | | 6.बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| 7.बाबत इजराय हुक्मनामा | | 7.मुतफरिक | |
| 8.मुतफरिक | | | |
| जोड़ | 3 | जोड़ | 2 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner